P: ISSN NO.: 2321-290X RNI : UPBIL/2013/55327 VOL-8* ISSUE-5* January- 2021
E: ISSN NO.: 2349-980X **Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika**

समकालीन परिवारों में वृद्ध महिलाओं की प्रस्थिति

Status of Old Women in Contemporary Families

Paper Submission: 15/01/2021, Date of Acceptance: 27/01/2021, Date of Publication: 28/01/2021

पूनम बजाज
सहायक आचार्य,
समाजशास्त्र विभाग,
चौ. बल्लूराम गोदारा राजकीय कन्या महाविद्यालय,
श्रीगंगानगर, भारत

सारांश

भारत में वृद्धजन परम्परागत समाज में गहन श्रद्धा और सम्मान के पात्र समझे जाते थे। संयुक्त परिवारों में तो एक प्रकार से बड़े–बूढ़ों का ही षासन चलता था। परिवार के सबसे बड़े सदस्य की आज्ञा और निर्देश का पालन एक परम्परा के रूप में किया जाता था। उनका अनुभव और सूझबूझ समुदाय के विकास के लिए अमूल्य धरोहर समझा जाता है। किन्तु समय बीतने के साथ–साथ हर स्थिति में हम परिवर्तन देखते हैं इसी प्रकार वर्तमान में समाज की परम्परागत जीवन शैली को बदलने में प्रमुख रूप से औद्योगीकरण, शहरीकरण, सामाजिक गतिशीलता, संचार के सुलभ साधनों तथा बढ़ती आंकाक्षाओं को हम देखते है। समाज में आ रहे अनेक परिवर्तनों ने परम्परागत रिश्तों और पुराने भावनात्मक संबंधों को प्रभावित किया है समाज, अर्थव्यवस्था तथा लोगों की सोच एवं संबंधों में परिवर्तन के चलते वृद्ध लोग स्वयं को असुरक्षित महसूस करते है। जीवन की अंतिम अवस्था में मनुश्य की वृद्धावस्था न केवल उनके लिए बल्कि उसके निकट संबंधियों और यहां तक कि पूरे समाज के लिए एक समस्या बन जाती है। प्रायः युवा पीढ़ी, जो अत्याधिक आधुनिक जीवन शैली की आदी है, उनके साथ टकराव होता रहता है। समकालीन परिवारों में आ रहे विभिन्न परिवर्तनों के साथ प्रस्तुत पत्र में वृद्ध महिलाओं की प्रस्थिति की चर्चा करने का प्रयास किया गया है। वृद्धजन खासतौर पर वृद्ध महिलाएं किस प्रकार से आर्थिक, सामाजिक, सुरक्षात्मक स्थिति आज के समकालीन परिवारों में रखती है, इसका विश्लेशण–व्याख्या प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया गया है।

Older people in India were considered as characters of deep reverence and respect in the traditional society. In the joint families, only the elders ruled in a way. The orders and instructions of the eldest member of the family were followed as a tradition. Their experience and understanding is considered to be invaluable heritage for the development of the community. But with the passage of time, we see change in every situation, similarly in the present day we see industrialization, urbanization, social mobility, accessible means of communication and increasing expectations mainly in changing the traditional lifestyle of society. Many changes coming in the society have affected traditional relationships and old emotional relationships, due to changes in society, economy and people's thinking and relationships, older people feel insecure. In the last stage of life, man's aging becomes a problem not only for him but also for his near relatives and even the whole society. Often the younger generation, who are accustomed to the most modern lifestyle, clash with them. In the paper presented with various changes coming in contemporary families, an attempt has been made to discuss the status of older women. An attempt has been made to provide an analysis of how the elderly, especially older women, hold economic, social, protective status in today's contemporary families.

मुख्य शब्द : वृद्धजन, प्रस्थिति, परिवार, प्रतिमान, प्ररिवर्तन, जीवन प्रत्याषा, जनसंख्या, स्वास्थ्य, परिवेश, महिला, आधुनिकता, ग्रामीण ।
Older, Status, Family, Model, Change, Life Expectancy, Population, Health, Inclusion, Women, Modernity, Rural.

प्रस्तावना

आज के इस समकालीन युग में जहाँ एक ओर हम आधुनिकता, विकास, वृद्धि और वैश्वीकरण की बात करते है, तो दूसरी ओर अनेक प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहें हैं। इन अनेक समस्याओं में से आज का युवा

भारत देश जिस समस्या का अत्यधिक सामना कर रहा है वह है– वृद्धजनों की समस्याएँ ।

अध्ययन के उद्देश्य

वर्तमान समाज में परिवारों के बदलते प्रतिमानों में वृद्धजनों विषेश रूप से वृद्ध महिलाओं की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति, चिकित्सा, सुरक्षा, बचत योजनाओं, सवैधानिक उपायों आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करना है।

प्रस्तुत पत्र हेतु द्वितीयक तथ्यों का उपयोग किया गया है। विभिन्न पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं, लेखों तथा सांख्यिकी आकड़ों का उपयोग किया गया है।

भारतीय परिदृष्य में प्राचीन समय से ही घर के बड़े–बुजुर्ग हमारे लिए आदरणीय और अपने अनुभवों द्वारा नई पीढ़ी को रास्ता दिखाने वाले माने गए है। भारत में तो परिवार एक मात्र ऐसी संस्था रही है जो कर्त्तव्यों, विषेशकर बड़ों के कर्त्तव्यों और पारिवारिक मर्यादा को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी के कुछ नैतिक आदर्षो पर आधारित रही हैं। पुत्र का स्थान इसलिए ही परिवार में महत्वपूर्ण माना गया है कि वृद्धावस्था में माता–पिता की भौतिक जरूरते ही नहीं बल्कि उनकी मानसिक और भावनात्मक जरूरतों को भी पूरा करें।

प्राचीन समाजों में बुजुर्गों का हर जगह आदर किया जाता था प्राचीन हिब्रू, ग्रीक तथा रोमन समाजों में लोग ऐसा मानते थे कि जीवन के अंतिम चरण में पहुंच कर लोगों को रहस्यमय शक्ति, प्रबल विवके तथा संदेहातीत प्राधिकार प्राप्त हो जाता है। स्वतंत्रता पूर्व से लेकर वर्तमानद समय तक स्त्रियों की स्थिति पर कुछ हश्टिपात करें तो प्राचीन समय में तो यह माना जाता था कि स्त्री का यह जन्म सिद्ध अधिकार है कि वह पुरूश को नहीं सम्पूर्ण मानवता को अपने गुणों के माध्यम से वशीभूत करें। दूसरी ओर एजेंल्स जैसे विद्वानों ने अपनी पुस्तक, 'परिवार, निजी सम्पति तथा राज्य की उत्पति' (1889) में स्त्री की अधीनता के इतिहास को रेखांकित किया है। स्त्री के निर्णय लेने की स्वतंत्रता के अधिकार की लड़ाई की षुरूआत पंडित रमाबाई ने की जिन्होने जीवन पर्यन्त विधवा महिलाओं की स्थिति सुधारने हेतु संघर्श किया । वे 15–45 वर्श की विधवा स्त्रियों को तो किसी न किसी कार्य जैसे अध्यापिका, नर्स, घरेलू कार्यो में संलग्न कर समाज का हिस्सा बनाने की कोशिश करती रहीं, लेकिन उनका मानना था कि वृद्ध विधवा स्त्रियो की दशा बेहद शोचनीय थी न तो उनके पास पर्याप्त कमाने और खाने के साधन थे न किसी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएँ । उनका एक ही कार्य रहा – ईश्वर का भजन पूजन। यदि धर्म का भी सहारा लिया जाये तो प्राचीन काल से ही पता चलता है कि स्त्री असमानता के पोशण में धर्म की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। दुनिया का कोई भी धर्म स्त्री समानता की बात नहीं करता । वृद्ध होती महिलाओं से अपेक्षा की जाती है कि वे बिना किसी पारिवारिक निर्णय में दखल दिये ईष्वर भजन करें।

विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में विष्व में वृद्ध नागरिकों की संख्या 80 करोड़ के करीब है और अनुमान है कि वर्श 2021 तक यह आंकड़ा 100 करोड़ के करीब हो जायेगा। भारत में भी चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार, खाद्यान्न और पोषण की उपलब्धता और आर्थिक सृदृढ़ीकरण ने जीवन प्रत्याशो को बढ़ा दिया है फलस्वरूप वृद्ध नागरिकों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि हो रही है। वर्श 1961 में वृद्ध जनसंख्या 2.4 करोड़ थी जो 2001 में 7.7 करोड़ और 2011 में 10.4 करोड़ । वृद्धों की निरपेक्ष संख्या के सदर्भ में भारत विष्व का दूसरा सबसे बड़ा देष बन चुका है। यहाँ 80 लाख से अधिक लोग 80 वर्श की आयु पूर्ण कर चुके हैं। वृद्धों के लैंगिक अनुपात में स्त्रियों की सख्या 51 प्रतिषत है। जिनमें 64 प्रतिषत महिलाएं विधवा है। जबकि पुरूश केवल 19 प्रतिषत ही पत्नी विहिन है। महिलाओं की जीवन प्रत्याषा पुरूशों से अधिक होती है और सामान्यतः महिलाओं का विवाह अपनी आयु से अधिक आयु वाले पुरूश से होता है अतः अधिकतर वृद्ध महिलायें विधवा ही होती है। विधवा वृद्ध महिलाओं की अधिक संख्या चिन्ता का विशय इसलिए भी है क्योंकि पितृसत्तात्मक परिवारों में विधवाओं की स्थिति षोचनीय होती है विधवाएं रिष्तों के परिवर्तित समीकरण में पति के नैतिक सहारे के बिना अपनी प्रस्थिति खोकर अपमान का सामना करती है। एक वृद्ध महिला स्त्री होने क नाते तो पहले से ही उत्पीड़ित होती है, वृद्ध और विधवा होने के नाते कई तरह के भेदभाव का षिकार होती है।

अध्ययन बताते है कि यदि वृद्ध महिलाएं लम्बे समय से बीमार है तो वे पूर्णतया बेटे और बहू पर निर्भर हो जाती है। स्त्री मरीजों को उन्मादी, अविवेकी और निर्णय लेने में अक्षम मान लिया जाता है। जिन महिलाओं के पास आय के पर्याप्त स्त्रोत नहीं है वे निराश्रित और गरीब है, उनको अपनी भौतिक आवष्यकताओं को पूरा करने के लिए भी बुढ़ापे में आजीविका का कोई साधन अपनाने में पूरी तरह पारिवारिक सदस्यों पर निर्भर हो जाती है उनकी दषा और भी षोचनीय होती है।

दुनिया के लगभग 10 वृद्धों में से एक भारत में रहता है अनुमान है कि 2050 तक वृद्ध महिलाओं की संख्या में 112.2 प्रतिषत की दर से बढ़ोतरी होगी। महिलओं में मृत्यु दर कम होने की वजह से, खराब स्वास्थ्य होने के वावजूद भी महिलाएं अधिक समय तक जीवित रहती है, लिहाजा विधवा और दूसरों पर निर्भर रहने वाली महिलाओं की संख्या बढ़ रही है ऐसी महिलाओं को न तो सामाजिक सहयोग मिलता है न ही परिवार से अपेक्षित सहायता, जबकि ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में अन्तर यह दिखाई देता है कि ग्रामीण वृद्ध महिला के पास इतना अकेला पन नहीं है जितने अकेलेपन में षहरी वृद्ध महिला जीवन जीती है। बढ़ती हुई षारीरिक अस्वस्थता उसमें असुरक्षा और भावनात्मक रिक्तता पैदा करती है। पारिवारिक जिम्मेदारियों में जैसे – जैसे वृद्ध महिलाओं का योगदान घटता जाता है कामकाज का न होना उनमें नैराषय और अधिकार विहिनता की भावना पैदा करता है, वे जिद्दी होती जाती है, उनका स्वास्थ्य बिगड़ता जाता है।

वृद्धों के देखभाल की समस्या पहले बहुत गंभीर नहीं थी लेकिन आज परिवारों के बदलते प्रतिमानों और बदलते सामाजिक मूल्यों ने वृद्धों के पारम्परिक स्थान को

बुरी तरह प्रभावित किया है। भारतीय परिदृष्य में तो यह समस्या ओर भी बढ़ती हुई लगती है।

वृद्ध महिला यह अनुभव करती है कि उन्हें समाज की मुख्य धारा से अलग कर दिया गया है लेकिन उन्हे यह समझना होगा कि उनकी और वर्तमान पीढ़ी की कार्यषैली में बहुत अधिक भिन्नता है। परिवार में जो सम्पूर्ण स्नेह और देखभाल आज से 25–30 साल पहले संभव था वह आज परिस्थितियों के परिवर्तित होने, षिक्षा के प्रसार, युवा महिला के कामकाजी होने, घर से दूर नौकरी के स्थान होने के कारण वृद्धों की देखभाल का जिम्मा नौकरों पर आ गया है जिसमें भावनात्मक सम्बलता नहीं होती केवल व्यवसायिक दृश्टिकोण ही होता है।

इस श्रेणी के बुजुर्गों के लिए ही पर्याप्त मात्रा में सामाजिक सुरक्षा उपाय करना आवष्यक है। बुजुर्ग लोग राश्ट्र की मूल्यवान धरोहर है और एक जीवन्त मानव संसाधन है। 'वृद्धावस्था संबंधी वियना अन्तर्राश्ट्रीय कार्यवाही योजना' 1982 के अनुसार विकासषील देषों में लोगों की जीवनावधि का धीरे–धीरे बढ़ते जाना, राश्ट्रीय अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रच्छन्न संसाधन बन जाता है और यदि इसे उचित रीति से उत्प्रेरित किया जाए और उपयोग में लिया जाए तो वह युवा पीढ़ी के बड़ी संख्या में देष से बाहर जाने से हुई कमी की पूर्ति कर सकता है और निर्भरता अनुपालन को कम कर सकता है। इससे ग्रामीण बुजुर्ग विकास के निठल्ले षिकार बनने की बजाए, राश्ट्रीय जीवन तथा उत्पादन में सक्रिय भागीदारी बन सकते है।

भारत के संविधान में राज्य में नीति निर्देषक तत्वों के अन्तर्गत नागरिकों (जिसमें बुजुर्ग नागरिक भी षामिल हैं) के प्रति कर्त्तव्यों की पहचान की गयी हैं। संविधान के अनुच्छेद 41 में उपबंध किया गया है कि 'राज्य, आर्थिक क्षमता और विकास की मर्यादाओं के भीतर बेरोजगारों, बुजुर्गों, बीमारों तथा अषक्तों तथा अवांछनीय अभाव के अन्य मामलों में काम, षिक्षा तथा जन–सहायता के अधिकार' दिलाने के लिए प्रभावी उपबंध करेगा। इसके अलावा दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 125 में उपबंध किया गया है कि पर्याप्त संसाधन रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अपने माता–पिता की, जो अपनी देखभाल खुद नहीं कर सकते, देखभाल करनी होगी। इसी प्रकार हिन्दू दत्तक तथा रख–रखाव अधिनियम, 1956 की धारा 20(3) में प्रत्येक व्यक्ति कें लिए यह बाध्यकारी किया गया है कि वह अपने बूढ़े तथा अषक्त माता–पिता की देखभाल करें। इन कानूनों उपबंधों के अलावा भारत में धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक विरासत के अनुसार यह प्रथा युगों से चली आ रही है कि परिवार तथा समाज में बड़े–बूढ़ों की देखभाल की जाती है ताकि वे परितृप्ति एवं संतुश्टि का जीवन व्यतीत कर सकें। माता–पिता को वृद्धावस्था में वित्तीय तथा भौतिक सुरक्षा प्रदान करना, बच्चे का नैतिक कर्तव्य माना जाता है। इसलिए बच्चों को ही बूढ़े माता–पिता के आंख, कान, हाथ और पैर कहा जाता है।

1999 की 'वृद्धों की राश्ट्रीय नीति' केवल बेहतर उद्देष्यों का विवरण है क्योंकि यह वित्तीय ज्ञापन–पत्र या किसी कार्ययोजना का प्रतिपादन नहीं करता । इसमे वृद्ध पुरूशों और स्त्रीयों के लिए अलग–अलग कार्य योजना की चर्चा भी नहीं हैं। इस नीति के तहत जितने भी मुख्य बिन्दू है वह अकेली वृद्ध महिला के लिये किस प्रकार लाभदायक होगें ? उनकी क्रियान्विती कैसे होगी ? यह बहुत से प्रष्न अनुतरित हैं। अधिकतर बुजुर्ग महिलायें ग्रामीण इलाकों में रहने और असंगठित क्षेत्र से जुड़े होने की वजह से स्वास्थ्य और पेंषन जैसी सुविधाओं से वंचित रहती है विभिन्न योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती है।

विधवा पेंषन योजना भी उन्हीं महिलाओं के लिए है जिनके आगे–पीछे कोई ना हो ऐसे में वे महिलाएं जिनके बेटे–बेटी तो हैं पर उन्हे छोड़ चुके है, पेंषन योजना से वंचित रह जाती है।

सरकारी उपायों की ओर अधिक चर्चा करें तो पता लगता है कि भारत सरकार में वृद्धों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करने हेतु अनेक योजनाओं जैसे अन्नपूर्णा योजना (2001), वरिश्ठ नागरिक बचत योजना (2004), रिवर्स मारगेज योजना (2007), वरिश्ठ मेडिक्लेम योजना (2008), इंदिरा गांधी राश्ट्रीय वृद्धावस्था पेंषन योजना (2008) इसके अतिरिक्त वृद्धों को यात्रा के दौरान किराये में छूट, वरीयता के आधार पर आरक्षण, निःषुल्क या रियायती दरों पर चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध कराई गई है। वृद्ध और उपेक्षित माता–पिता के हितों को संरक्षित करने हेतु भारत सरकार द्वारा 31 दिसम्बर 2007 को 'माता–पिता एवं वरिश्ठ नागरिक (देखभाल एवं कल्याण) विधेयक' को पारित किया गया।

गौरतलब तथ्य यह है कि हिमाचल प्रदेष के 'अभिभावकों और आश्रितों के प्रबंध' का विधेयक किसी भी असमर्थ व्यक्ति को समर्थ बनाता है क्योंकि इसके माध्यम से वह अपने भरण–पोशण के लिए अपने नजदीकी संबधियों से भरण–पोशण प्राप्त करने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकता है। यर्थात में कैसे इस पर कार्यवाही होगी, यह समस्या है। विधेयक का एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि वृद्ध अधिभावक बेटा–बेटी दोनों की जिम्मेदारी है।

2004 में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया कि वृद्ध माता–पिता की जिम्मेदारी पुत्र–पुत्री पर एक समान है। हमारी पितृ सत्तात्मक व्यवस्था में पुत्र प्राप्ति की कामना के पीछे प्रबलता भी यही दिखाई देती है ि कवह बुढ़ापे का सहारा होगा और सारी अपेक्षाएं उसी से रखी जाती है जबकि पुत्रियाँ इसे इसे अपनी इतनी जिम्मेदारी नहीं मानती बल्कि कई बार तो पारिवारिक कलह का कारण बन जाती है वृद्ध माता खासतौर पर पुत्रियों की बात मानकर बेटे–बहू पर आक्षेप लगाती रहती है और परिवार में सकारात्मक और संबंधों में रूकावट बढ़ती जाती है। इसका असर उस वृद्ध महिला की सेवा सुरक्षा पर पड़ता है। जहां परिवार एंकाकी है वहां यह समस्या और भी गंभीर है। जहां अभी भी संयुक्त परिवार है वहां परिवार मर्यादा में रहता है, हिंसा की खबरे कम ही सुनने में आती है । छोटे परिवारों की नई पीढ़ी वृद्धों के प्रति अधिक संवेदनषील है भी नहीं, क्योंकि उन्होनें वृद्धों को बचपन में अपने आस–पास नहीं देखा ही नहीं। इस का कारण है आज छोटे–छोटे षहरों में भी वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ती जा रही है। इन वृद्धाश्रमों के रूप भी

बदलते जा रहें है जहां वृद्धों को अपने जैसे साथी ओर अनेक सुख सुविधाएं मिल जाती है। इन वृद्धाश्रमों में पैसा खर्च करना वर्तमान कमाऊ पीढ़ी को बुरा नहीं लगता बल्कि वे वृद्धों को अपने साथ रखकर होने वाली प्रतिदिन उनकी सेवा सुश्रजा के उत्तरदायित्व से बच जाते है।

सामाजिक सरचना की अवधारणा समाजशास्त्र में केंद्रीय अवधारणा हैं। यह एक जटिल अवधारणा है। 19वीं शताब्दी के उद्विकास वादियों में हरबर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना को एक जैविकीय सावयव की तरह प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि जिस तरह से शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, वैसे ही समाज के भी विभिन्न अंग, भाग होते हैं। इनके अनुसार संरचना और सावयव में समानता होती है शरीर को जीवित रखने के लिए उसका बना रहना आवश्यक है इसी प्रकार संरचना को भी बनाए रखने के लिए उसकी निरंतरता आवश्यकहै।

समाज शास्त्रीय दृष्टिकोण

दुर्खीम.. सामाजिक तथ्य को महत्वपूर्ण कारक के रूप में देखते हैं यह समाज के उन कार को और शक्तियों को सामाजिक संरचना के रूप में देखते हैं जो इसे निरंतरता देते हैं।

रेडक्लिफ ब्राउन सामाजिक संरचना सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है

मैलिनोवस्की इससे जैविक की आवश्यकता की पूर्ति के रूप में देखते हैं।

परेटो समाज को अनिवार्य रूप से विभिन्न भागों से बना हुआ पाते हैं और एक भाग में परिवर्तन सारी सामाजिक संस्थाओं को प्रभावित करता है।

मर्टन.. संरचना कौ प्रकार्यवाद के साथ जोड़कर देखते हैं कहते हैं कि कोई भी सामाजिक संरचना तब तक जीवित नहीं रहती जब तक उसके विभिन्न अंग अपनी गतिविधियों द्वारा इसे बनाए नहीं रखते हैं

दो संप्रदाय.....

एक यूरोप के संरचना वादियों का है जो की संरचना का मूल आधार मनुष्य के विचार और भाषा को मानता है।

दूसरा अमेरिका ब्रिटेन के सरंक्षण आबादी जो व्यक्तियो के बीच में होने वाले सामाजिक संबंधों को संरचना मानते हैं।

रचना वादियों का एक संप्रदाय वास्तविक व्यवहार के अध्ययन के आधार पर समाज को समझता है।इनके अनुसार अनुभाविक अध्ययन के परिणाम स्वरूप दिए गए अध्ययन सामाजिक संरचना को बताते हैं।

S.f.nadel (the theory of social structure) मैं कहते हैं कहते हैं कि किसी भी समाज की निश्चित सीमा होती है जिसमें लोग या तो समाज के सदस्य होते हैं या किसी दूसरे समाज के। समाज के मानदंडों, मूल्य, रीति–रिवाजों के अनुसार लोग व्यवहार करते हैंइन व्यवहारों का जब अमूर्ति करण कर दिया जाता है तब जो शेष बचता है वह सरचना है। जैसे समाज के आर्थिक भाग में बदलाव आता है तो भी संरचना बनी रहती है इसलिए यह निरंतर और स्थाई होती है। सर अंजना के विभिन्न भागों में शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाएं होती हैं।

निष्कर्ष

अध्ययन यह भी बताते है कि आज के बदलते परिवारों में 60 वर्श से अधिक आयु की वे महिलाएं जिनके पास आय के पर्याप्त स्त्रोत है वे बेहतर स्थिति में हैं वे जीवन के इस काल को अपने तरीके से जी रही हैं। ये महिलाएं सामाजिक सेवा कार्यो, धार्मिक कार्यक्रमों में भागीदारी के साथ–साथ अपनी रूचि के अन्य कार्य करती रहती है। अपने 'बच्चों के बच्चों' के साथ समय बीताना, किसी क्लब या संस्था की सदस्यता ग्रहण करना,' हस्त कला का सामान' बनाना, 'कुकिंग क्लासेज' चलाना आदि । हालांकि इनकी संख्या काफी कम है। अब समय आ गया है कि हमें यह समझना होगा कि बदलते परिवारों में वृद्धों को किस प्रकार ऐसे कार्यो में लगाया जाये कि ये समाज व्यवस्था के लिए मूल्यवान बन सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. *भारतीय, ओम प्रकाश, 'वृद्ध महिलाओं की सामाजिक समस्याएं, कला प्रकाशन, वराणसी, 2010।*
2. *राजू, एस षिवा, हेल्प स्ट्रेटस ऑफ द अरबन एल्डरली' ए मेडिको–सोशल स्टडी, बी. आर. पब्लिशिंग कॉर्पोरेशन, दिल्ली 2002।*
3. *पाण्डे, प्रियवंदा 'वृद्ध ग्रामीण महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति' राधा कमल मुखर्जी, चिन्तन परास्परा, नेशनल रेफरीड जर्नल ऑफ सोशल साइन्सेज, जनवरी–जून 2015, वर्ष 2017, अंक–01।*
4. *देसाई, नीरा, ठाकूर, ऊषा ' भारतीय समाज में महिलाएं', नेशनल बुक ट्रस्ट भारत, नई दिल्ली, 2008।*
5. *जोशी गोपा, 'भारत में स्त्री असमानता', हिन्दी माध्यम कार्यान्वयन निदेशालय, दिल्ली, 2011।*
6. *खण्डेला, मानचंद, 'आधुनिकता और भारतीय समाज', आविष्कार पब्लिशर्स, 2014।*
7. *खण्डेला, मानचंद, 'महिला और बदलता सामाजिक परिवेश', आविष्कार पब्लिशर्स, 2008।*
8. *भट्टाचार्य, सुनील कान्त, (अनु. महावीर प्रसाद भारद्वाज), 'भारत की सामाजिक समस्याएं', मुद्दे और परिप्रेक्ष्य, राधा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2010।*
9. *http://selfrespectinoldage.agewellfoundation.org/ElderlyWomenStudy/index.htm*
10. *पी. जैन. जेण्डर एंड सोशियोलॉजी, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, आगरा, एजुकेशनल पब्लिशर, 2015।*
11. *एम.एल. गुप्ता, डी.डी.शर्मा. सामाजिक मुद्दे एवं समस्याएं साहित्य भवन पब्लिकेशन, आगरा, 2017।*
12. *गौतम, ज्योति, 'भारतीय समाज मे मुद्दे एवं समस्याएं' हिमाशु पब्लिकेशन, अंसारी रोड, नई दिल्ली 2020।*